<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

<u>रेफरेंस / एलआर / 2020 / 1796 / बूंदी</u>
सरकार बनाम अनुसुइया</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td><u>एकलपीठ</u>
<u>श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य</u>
<u>उपस्थित :-</u>
श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, उप राज. अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित,

दिनांक : 10 जनवरी, 2024

<u>आदेश</u>

1. यह रेफरेंस न्यायालय जिला कलेक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा-82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 01-08-2018 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बून्दी ने जिला कलेक्टर बून्दी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जखाना तहसील बून्दी में स्थित जमाबंदी संवत् 2004 से 2008 मिलान क्षेत्रफल 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम जखाना की विवादित भूमि के पुराने खसरा नंबर 154 मिन थे तथा जिसके नवीन खसरा नंबर 382 रकबा 5 बीघा बने है। उक्त खसरा नंबर 382 में से 16 बिस्वा भूमि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी। जो अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज खातेदारी विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 एवं भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है। उक्त खातेदारी डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 में दिए गए निर्देशों के विपरीत है। अतः विवादित भूमि को पुनः गैर मुमकिन नाली दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01-08-2018 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है।</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2020 / 1796 / बूंदी** **सरकार बनाम अनुसुइया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से तलब किया गया, जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 4. योग्य अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदियां, नाले, झीलें और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन/खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 के अनुसार किया जाना नियम विरूद्ध है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाली होने के कारण उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन व इसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति गैर मुमकिन नाली दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। 5- हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 6- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम जखाना तहसील बून्दी में स्थित जमाबंदी संवत् 2004 से 2008 मिलान क्षेत्रफल 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम जखाना की विवादित भूमि के पुराने खसरा नंबर 154 मिन थे तथा जिसके नवीन खसरा नंबर 382 रकबा 5 बीघा बने है। उक्त खसरा नंबर 382 में से 16 बिस्वा भूमि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी। जो अप्रार्थी के पक्ष में किया गया नियमन/आवंटन विधि विरूद्ध है। चूँकि राजस्व अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाली होना स्पष्ट है जो कि जलस्त्रोत की भूमि है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आती है तथा विवादित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2020 / 1796 / बूंदी** **सरकार बनाम अनुसुइया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन / नियमन / खातेदारी योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्‌भूत नहीं होते हैं तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02-08-2004 पारित करते हुए नाला, नदी, तालाब व नाड़ी इत्यादि की भूमियों के खातेदारी में दर्ज होने पर उसे निरस्त करने की कार्यवाही के आदेश प्रदान किए है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परीप्रेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश को निरस्त कर विवादित भूमि की किस्म पूर्व की भांति गैर मुमकिन नाली दर्ज किया जाना उचित समझते है। 7- फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन, इसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण एवं आदिनांक तक राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाता है तथा ग्राम जखाना तहसील बून्दी में स्थित खसरा नंबर 382 रकबा 5 बीघा में से 16 बिस्वा भूमि विपक्षीगण के नाम खातेदारी हटाई जाकर पुनः राजकीय खाते में गैर मुमकिन नाली के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है। 8- आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भंवर सिंह सान्दू)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस / एलआर / 2020 / 1796 / बूंदी</u>** **सरकार बनाम अनुसुइया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए